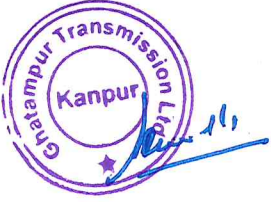


वन्य जीव अभ्यारण / रिजर्व बाघ / हाथी कोरीडोर / राष्ट्रीय
उद्यान / सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765
के०वी० एस०/सी० घाटमपुर-हापुड़ ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित
संरक्षित वन भूमि की 10 किमी० की परिधि में कोई वन्य जीव अभ्यारण / रिजर्व
बाघ / हाथी कोरीडोर / राष्ट्रीय उद्यान / सेन्चुरी नहीं है।



Shiv
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर